

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ3(126)ACR/CCE/10/299

दिनांक:- 11/10/19


1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।
3. समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2014-15 से 2018-19 तक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने
बाबत।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2014-15 से 2018-19 तक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन काफी महाविद्यालयों से अभी तक नहीं भिजवाये गये हैं। पूर्व में भी www.hte.rajasthan.gov.in website पर अपलोड परिपत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन्होंने दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आयुक्तालय को प्रेषित नहीं किये हैं वे अपने महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के सत्र 2014-15 से 2018-19 तक के शेष कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति कर अविलम्ब प्रेषित करें अन्यथा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


(दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


(दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर